न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सराडा जिला उदयपुर

निर्णय द्वारा – रणछोडलाल डामोर R.A.S

प्रकरण संख्या–186/2011

दायर दिनांक – 04.03.2011
फैसल दिनांक – 23.01.2015

1. स्व0 नानजी पिता गोविन्दा डांगी निवासी बडंगाव तहसील सराडा मृतक के बजाय
1/1. कन्हैयालाल पिता स्व. नानजी निवासी बडंगाव तहसील सराडा
1/2. भूरी बाई पिता स्व. नानजी निवासी बडंगाव तहसील सराडा
1/3. केसु बाई पिता स्व. नानजी निवासी बडंगाव तहसील सराडा
1/4. मु. दलु बेवा स्व. नानजी निवासी बडंगाव तहसील सराडा

वादीगण

बनाम

1 उदा पिता गांगा डांगी निवासी बडगांव तहसील सराडा जिला उदयपुर
2 धनु बेवा गांगा डांगी निवासी बडगांव तहसील सराडा जिला उदयपुर
3 विरजी पिता काना निवासी बडगांव तहसील सराडा जिला उदयपुर
4 रूपा पिता काना निवासी बडगांव तहसील सराडा जिला उदयपुर
5 रोडा पिता काना निवासी बडगांव तहसील सराडा जिला उदयपुर
6 लाला पिता काना निवासी बडगांव तहसील सराडा जिला उदयपुर
7 लाली बेवा काना निवासी बडगांव तहसील सराडा जिला उदयपुर
8 डाया पिता अमरा निवासी बडगांव तहसील सराडा जिला उदयपुर
9 भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब सराडा तहसील सराडा

प्रतिवादीगण

ाद बाबत धोषणा खातेदारी अधिकार अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा बडगांव तहसील सराडा की बन्दी सम्वत् 2027 से 2030 के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज आराजी नम्बर 384 रकबा 18 ा, 385 रकबा 8 बिस्वा, 809 रकबा 2 बिधा 8 बिस्वा, 823 रकबा 15 बिस्वा, 1465 रकबा स्वा, 1480 रकबा 5 बिस्वा, 1482 रकबा 5 बिस्वा, 1611 रकबा 8 बिस्वा, 1612 रकबा 3 , 2048 रकबा 18 बिस्वा, 2049 रकबा 1 बिधा 6 बिस्वा, 2050 रकबा 1 बिधा 7 बिस्वा, /1 क रकबा 8 बिस्वा, 2100 रकबा 2 बिधा 9 बिस्वा, 1737 रकबा 16 बिस्वा, 1738 1739 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 17 रकबा 14 बिधा 3 बिस्वा भूमि

वादीगणों के दादाजी श्री गोविन्दा पिता पेमा डांगी निवासी बडगांव के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। (62)

खातेदार श्री गोविन्दा पिता पेमा डांगी के स्वर्गवास के बाद उक्त आराजीयात भूमि गोविन्दा के पुत्र लाला व नानजी के नाम विरासत से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुई। वादीगणों के चाचा श्री लाला पिता गोविन्दा खेराड मे दत्तक पुत्र बनकर गोद चला गया जिससे वादीगणों के चाचा का वादग्रस्त भूमि मे कोई हक हिस्सा नही है, और राजस्व रेकर्ड मे भी वादीगणों के चाचा का नाम हट चुका है, वादीगणों के चाचा स्वंय ने एक लिखतम वादीगणों के पक्ष मे दिनांक 15.05.1989 को निरपादित कर गया जिसके आधार पर वादीगणों के चाचा के हिस्से की सम्पुर्ण भूमि के खातेदार वादीगण मात्र ही है।

वाद ग्ररत्त भूमि का हाल राजस्व रेकार्ड निम्न प्रकार से है–आराजी नम्बर 651 रकबा .16 है0, 763 रकबा 0.08 है0, 764 रकबा 0.23 है0, 765 रकबा 0.23 है0, 947 रकवा 0.09 है0, 1205 रकबा 0.08 है0, 1206 रकबा 0.10 है0, 2172 रकबा 0.08 है0, 2182 रकबा 0.03 है0, 2184 रकबा 0.07 है0, 2348 रकबा 0.06 है0, 2349 रकबा 0.04 है0, 2350 रकबा 0.04 है0, 2778 रकबा 0.15 है0, 2779 रकबा 0.38 है0, 2780 रकबा 0.03 है0, 2890 रकबा 0.19 है0, 3699 रकबा 0.28 है0, 3704 रकबा 0.13 है0, 4248/3703 रकबा 0.11 है0 कुल किता 0 रकबा 2.56 है0 भूमि नानजी पिता गोविन्दा 1/3 , उदा पिता गांगा, धनु बेवा गांगा /6, विरजी,रूपा,रोडा,लाला पिता काना, लाली बेवा काना 1/6, डाया पिता अमरा 1/3 के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी राजस्व रेकर्ड दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक के पिता गांगा , काना पिता पुंजा पटेल एवं प्रतिवादी संख्या 8 ने मिलकर धोखा धडी पूर्वक मिलिभगत से दिनांक 29.09.1998 को फर्जी रिपोर्ट तैयार कर प्रभारी अधिकारी समस्या समाधान अभियान के समक्ष फर्जी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नामान्तरकरण संख्या 145 द्वारा 1/3 – 1/3 हिस्से मे अपना–अपना नाम दर्ज करवा दिया, जबकि वादी ने कभी भी समस्या समाधान शिविर मे प्रतिवादीगणों के पिता का नाम दर्ज किये जाने हेतु अपनी स्वीकृती कभी नही दी थी और समस्या समाधान अभियान के अन्तर्गत किसी खातेदार का हिस्सा मात्र सहमति के आधार पर हस्तान्तरित नही किया जा सकता इसके लिए रजिस्टर्ड खत विक्रय, बक्षीश, हकत्याग आदि निरपादित किया जाना आवश्यक होता है, तभी खातेदार का हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित होता, अन्यथा किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री द्वारा ही किसी खातेदार का हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित होता है, परन्तु समस्या समाधान अभियान के अन्दर फर्जी तरिके से बिना किसी कानूनी प्रकिया को अपनायें बिना रजिस्टर्ड तरिके से अपना हिस्सा हस्तान्तरित किये बिना प्रतिवादीगणों के पिता ने अपने नाम 1/3 – 1/3 हिस्सा दर्ज करवा दिया। वादी अपनी उक्त भूमि मे गलत तरिके से प्रतिवादीगणों को हस्तान्तरित 1/3 – 1/3 हिस्से को अपने नाम पुनः दर्ज करवाने हेतु यह घोषणा खातेदारी का वाद पेश किया।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया, जिसमे बताया की वादग्रस्त भूमि वादीगणों की है और पूर्णतया कब्जा भी वादीगणों का ही है। हमारा नाम राजस्व रेकर्ड मे कैसे आया उसकी जानकारी हमे नही है यदि वादग्रस्त भूमि हमारे खाते से हटाकर पुन वादीगणों के खाते दर्ज कर दी जाये तो हमें कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई मौके देने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 8 व 9 ने अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया अतः प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का जवाब दावा बन्द कीया गया ।

वादी ने अपने वाद पत्र की ताईद में प्रदर्श जमाबन्दी संपत 2063 से 2066 की नकल प्रदर्श 4 समस्या समाधान शिविर केम्प में दीये गये आदेश की नकल प्रदर्श 5 व 6 की नकल प्रदर्श 7 व 8 लाला पिता गोविन्दा द्वारा निरपादीत लिखतम की नकल पेश की।

गवाह मे वादी अधिवक्ता ने पीड्ब्लयू 1 नारायण, पीड्ब्लयू 2 देवा, पीड्ब्लयू 3 खेमा, पीड्ब्लयू 4 नानजी के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की प्रतिवादी अधिवक्ता ने जिरह कि जो शपथ पत्र के पिछे पृष्ठ पर अंकित है। इसी द्वौरान वादी अधिवक्ता ने जाहिर की वादी स्वयं नानजी की मृत्यू हो चूकी है। वादी अधिवक्ता द्वारा आदेश 22 नियम 3 का प्रा0पत्र0 प्रस्तुत किया प्रस्तुत प्रा0पत्र पर प्रतिवादी अधिवक्ता को काई आपत्ति नही होने से वादी नानजी की मृत्यू के पश्चात उसके वारिसानों के नाम रेकर्ड पर लिये जाकर वादी अधिवक्ता द्वारा संशोधित टाईटल पेज पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली बहस हेतु पेश हुई। वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रस्तुत वाद पत्र के अनुरूप कथन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया की प्रतिवादीगणों के खाते दर्ज 1/3 – 1/3 हिस्से पर एक मात्र हम वादीगण का हक अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त हिस्से की घोषणा की डिक्रि पारित किये जानें का आदेश प्रदान करावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक ने अपने द्वारा प्रस्तुत ईकबालीया जवाब दावा के अनुरूप कथन प्रस्तुत करते हुए वादी के वाद का समर्थन कर अपनी अनापत्ति जाहिर कि। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए खारिज करने योग्य बतलाया।

हमने उभयपक्षों की बहस सूनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का ध्यानपूर्वक मनन/अवलोकन किया प्रतिवादीगणों ने मिलिभगत कर उक्त वादग्रस्त भूमि प्रभारी अधिकारी समस्या समाधान अभियान के समक्ष फर्जी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नामान्तरकरण संख्या 145 द्वारा 1/3 – 1/3 हिस्से मे अपना–अपना नाम दर्ज करवा दिया, जो गलत ह। समस्या समाधान अभियान के अन्तर्गत किसी खातेदार का हिस्सा मात्र सहमति के आधार पर हस्तान्तरित नही किया जा सकता उसके लिए रजिस्टर्ड खत विक्रय, बक्षीश, हकत्याग आदि सम्पादित किया जाना आवश्यक होता है, तभी खातेदार का हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित होता, अन्यथा किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री द्वारा ही किसी खातेदार का

हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित होता है, परन्तु समस्या समाधान अभियान के अन्दर फर्जी तरिके से बिना किसी कानूनी प्रकिया को अपनायें बिना रजिस्टर्ड तरिके से अपना हिस्सा हस्तान्तरित किये बिना ही प्रतिवादीगणों के पिता ने अपने नाम 1/3 – 1/3 हिस्सा दर्ज करवा दिया जो गलत है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा बडगांव की हाल आराजी नम्बर 651 रकबा 0.16 है0, 763 रकबा 0.08 है0, 764 रकबा 0.23 है0, 765 रकबा 0.23 है0, 947 रकबा .09 है0, 1205 रकबा 0.08 है0, 1206 रकबा 0.10 है0, 2172 रकबा 0.08 है0, 2182 रकबा .03 है0, 2184 रकबा 0.07 है0, 2348 रकबा 0.06 है0, 2349 रकबा 0.04 है0, 2350 रकबा .04 है0, 2778 रकबा 0.15 है0, 2779 रकबा 0.38 है0, 2780 रकबा 0.03 है0, 2890 रकबा 19 है0, 3699 रकबा 0.28 है0, 3704 रकबा 0.13 है0, 4248/3703 रकबा 0.11 है0 कुल कता 20 रकबा 2.56 है0 भूमि का वादीगणों को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। हसीलदार सराडा को आदेशित किया जाता है कि उक्त आराजीयात में प्रतिवादीगणों के ाम अंकित हिस्से को हटाकर सम्पूर्ण आराजीयात को वादीगणों के नाम हिस्सेनुसार राजस्व कार्ड में अमल दारामद करे।

डिक्रि पर्चा अलग से जारी हो।

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 23.01.2015 को खुले न्यायालय में सूनाया ाकर मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी सराडा